

पंजीकृत

प्रपत्र

राष्ट्रीय शिक्षा निदेशक,
राष्ट्रीय मानक, लखनऊ / सचिव

सेवा में

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केंद्र-2 समुदाय केंद्र,
पीप्लि विहार, नई दिल्ली।

पत्र संख्या-नि० 2/एनओसी/

/2015-16 दिनांक 19/01/2016

व्यवस्था- दिल्ली पब्लिक स्कूल, 4/26, सेक्टर 4, गोमती नगर एक्सटेन्शन लखनऊ (Delhi Public School, Plot No 4/26, Sector 4, Gomti Nagar, Ext. Lucknow) को सीओपीओएसओई0 बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए सूचित करना है कि शासनादेश संख्या-1916/15-7-09-1(299)/2007 दिनांक 14 जुलाई 2009 द्वारा माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं को कौंसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन (आईओएसओई0) नई दिल्ली/संन्तल बोर्ड आफ सेक्रेण्टरी एजुकेशन, (सीओपीओएसओई0) नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में आयुक्त लखनऊ, मण्डल लखनऊ की अध्यक्षता में बॉय स्कूलेशन बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार दिल्ली पब्लिक स्कूल, 4/26, सेक्टर 4, गोमती नगर एक्सटेन्शन लखनऊ (Delhi Public School, Plot No 4/26, Sector 4, Gomti Nagar, Ext. Lucknow) को संन्तल बोर्ड आफ सेक्रेण्टरी एजुकेशन (सीओपीओएसओई0) नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न प्रतिबंधों के अधीन निर्गत करने में आपत्ति नहीं है।

1. विद्यालय की पंजीकृत समिति का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की पत्रस्य समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनमें 50% माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी।
5. संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों का अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
6. कर्मचारियों की सेवा-विनियमवला बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा।
7. शासन/प्रशासन/विभाग द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश/निर्देश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
8. विद्यालय के विद्यार्थी निर्धारित प्रमाणपत्रों में रखा जायेगा।

Chand


-2

Delhi Public School Gomti Nagar Lucknow



Manager

Delhi Public School
Gomti Nagar Extension
Lucknow U.P.



(RUPAM SALUJA)
PRINCIPAL
DPS GOMTI NAGAR EXTN.
LUCKNOW

सं. 2/एस0एस0/2015-16 अन्वेषण नहरात्र प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित
प्रतिपक्षित पत्र दिनांक 13.04.2009 के अनुपालन में विद्यालय द्वारा सी0बी0एस0ई0,
नई दिल्ली के सम्बन्धित प्राण होने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विद्यालय का भवन
नहरात्र (किरिडा कोड में) प्रद्विधित सुरक्षा मानकों के अनुरूप है एवं उसमें अग्निशमन यन्त्र स्थापित
था नूक है तथा स्टाफ अग्निशमन उपायों हेतु भलीभाँति प्रशिक्षित है।

अपवृत्ता शर्तों न शक्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/सांशोधन/परिवर्धन नहीं किया

अपवृत्ता शर्तों न शक्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/सांशोधन/परिवर्धन नहीं किया
जायेगा। यदि प्रस्तावित परिवर्तन/सांशोधन/परिवर्धन के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पत्र
विद्यालय के प्राण द्वारा अपवृत्त प्रतिपक्षित का भालन नहीं किया जा रहा है अथवा धालन करने में किसी
प्रकार की सूक्ष्म या विचलना करती जाती है तो प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(दीप चन्द)

संयुक्त शिक्षा निदेशक,

षष्ठ मण्डल, लखनऊ/सदस्य सचिव

सं. 2/एस0एस0/2015-16 दिनांक उक्तवत्

प्रतिपक्षित पत्र दिनांक 13.04.2009 के अनुपालन में विद्यालय द्वारा सी0बी0एस0ई0 हेतु प्रेषित-

1. संयुक्त शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), उत्तर प्रदेश शासन।

2. उपसंचालक (माध्यमिक शिक्षा), लखनऊ।

3. सहायक शिक्षक (माध्यमिक शिक्षा), लखनऊ।

4. शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

5. सहायक शिक्षक (माध्यमिक), लखनऊ।

6. सहायक शिक्षक (माध्यमिक), उ०प्र०, लखनऊ।

7. सहायक शिक्षक (माध्यमिक), उ०प्र०, लखनऊ।

8. सहायक शिक्षक (माध्यमिक), लखनऊ।

9. सहायक शिक्षक (माध्यमिक), लखनऊ।

10. सहायक शिक्षक (माध्यमिक), लखनऊ।

11. सहायक शिक्षक (माध्यमिक), लखनऊ।

12. सहायक शिक्षक (माध्यमिक), लखनऊ।

13. सहायक शिक्षक (माध्यमिक), लखनऊ।

14. सहायक शिक्षक (माध्यमिक), लखनऊ।

15. सहायक शिक्षक (माध्यमिक), लखनऊ।

16. सहायक शिक्षक (माध्यमिक), लखनऊ।

17. सहायक शिक्षक (माध्यमिक), लखनऊ।

18. सहायक शिक्षक (माध्यमिक), लखनऊ।

19. सहायक शिक्षक (माध्यमिक), लखनऊ।

20. सहायक शिक्षक (माध्यमिक), लखनऊ।

21. सहायक शिक्षक (माध्यमिक), लखनऊ।

22. सहायक शिक्षक (माध्यमिक), लखनऊ।

23. सहायक शिक्षक (माध्यमिक), लखनऊ।

24. सहायक शिक्षक (माध्यमिक), लखनऊ।

25. सहायक शिक्षक (माध्यमिक), लखनऊ।

26. सहायक शिक्षक (माध्यमिक), लखनऊ।

27. सहायक शिक्षक (माध्यमिक), लखनऊ।

28. सहायक शिक्षक (माध्यमिक), लखनऊ।

29. सहायक शिक्षक (माध्यमिक), लखनऊ।

30. सहायक शिक्षक (माध्यमिक), लखनऊ।

(दीप चन्द) 19/4/16

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
षष्ठ मण्डल, लखनऊ/सदस्य सचिव

Manager
Delhi Public School
Gomti Nagar Extension
Lucknow U.P.

(RUPAM SALUJA)
PRINCIPAL
DPS GOMTI NAGAR EXTN.
LUCKNOW